अब भाजपा को जनता की याद आई

भाजपा सांसद एवं विधायक एवं मंत्री कार्यालय में सुनेंगे समस्याएं

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल। भाजपा हाईकमान को आखिर अहसास हो गया है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद एवं विधायक अपने चहेतों तथा सोफासेट छाप नेताओं तक सीमित रहते है, जमीनी कार्यकर्ता एवं आमनागरिकों को कोई तवज्जो नही देते, जिस कारण अब पार्टी हाईकमान ने इसको दृष्टीगत रखते हुए यह निर्णय लिया है कि भाजपा सांसद एवं विधायक अब भाजपा कार्यालयों में बैठकर आमजनता की समस्याओं को सुनेंगे।

अब पार्टी हाईकमान के निर्णय का पालन कहां तक सांसद विधायक करेंगे ये भविष्य के गर्त में है क्योंकि अभी तक की तो यही स्थिति है कि जिले के भाजपा सांसद एवं विधायक अपने चहेतों तथा सोफासेट छाप नेताओं तक सीमित है आम कार्यकर्ताओं एवं जनता के प्रति उनका रवैया कतई सही नही है। हासिल जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधियों की अनु उपलब्धता तथा जनता एवं आम कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए बीजेपी संगठन और सरकार अब नई व्यवस्था लागू कर रहे है। इसके तहत मंत्री, विधायक और सांसद तय दिन और समय पर जनता व कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ताकि शिकायतों का समाधान सीधे और जल्दी हो सके। संगठन की ओर से सुझाव दिया गया है कि हफ्ते में कम से कम दो दिन मंत्री मंत्रालय में अपने कक्ष में बैठकर लोगों से मुलाकात करें।

जिला कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बैठेंगे सांसद-विधायक:- नई व्यवस्था के तहत अब बीजेपी के विधायक और सांसद भाजपा के जिला कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बैठेंगे। सांसदों के बैठने के लिए संसदीय क्षेत्र के जिलों में महीने में एक दिन बैठने के लिए तय किया जाएगा। वहीं विधायक सप्ताह में दो दिन बैठेंगे। सांसदों विधायकों के बैठने के लिए समय भी तय किया जाएगा।

10 तारीख तक संभागीय और जिला प्रभारी करेंगे दौरे:- बीजेपी संगठन की ओर से यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि हर महीने पहले दस दिनों के बीच, यानी 10 तारीख तक संभागीय प्रभारी और जिला प्रभारी अपने प्रभार के जिलों में दौरे करेंगे। जिलों के प्रवास के दौरान संगठनात्मक विषयों की समीक्षा कर रिपोर्ट बनाएंगे और प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे।

हर दूसरे महीने में प्रभारी मंत्री करेंगे कोर ग्रुप की बैठक

आम तौर पर विधायकों, सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों की यह शिकायतें रहती हैं, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में हर दूसरे महीने में कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। 21 फ़रवरी को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने हर जिले में कोर ग्रुप गठन करने के लिए पत्र जारी किया था। इसके बाद जिलों में कोर ग्रुप बनाए गए हैं। मार्च के महीने से कोर ग्रुप की बैठकों की शुरुआत हुई है। जो मंत्री प्रभार के जिलों में नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने शुरुआती महीने की पहली बैठक भोपाल में की है। अब कोर ग्रुप की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन्हें एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। ये रजिस्टर संभाग प्रभारी के पास रहेगा।

अफसर विशेष की शिकायत तो तुरंत होगा एक्शन

कोर ग्रुप की बैठक में जिले के किसी अधिकारी की कार्यप्रणाली के खिलाफज्यादातर जनप्रतिनिधि और सदस्य गण आपति करते हैं तो ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट बनाकर संगठन और सरकार तक भेजी जाएगी। जिस अफ़सर के खिलाफज्यादातर जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं उसके खिलाफएक्शन भी जल्द लिया जाएगा। प्लान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री को संगठन की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि कैबिनेट की बैठक के दिन को छोड़कर कोई दो दिन जब अधिकांश मंत्रीगण भोपाल में रहते हैं, उन दिनों में दो घंटे का समय मुलाकातों के लिए तय होना चाहिए। उस अवधि में कोई शासकीय बैठक न रखी जाए, ताकि जनता,पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याएं, विकास के कामों पर चर्चा कर सकें। ऐसी ही व्यवस्था जिलों में विधायकों सांसदों के लिए बना रहे हैं।

अजयगढ़ में बेमौसम वर्षा, आंधी-तूफान और बारिश ने मचाया तांडव

नवभारत न्यूज

अजयगढ़ 3 अप्रेल। अजयगढ़ आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश होने लगी। आंधी-तूफान के साथ सुबह हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया।

किसानों ने बताया कि हमारी पकी हुई गेहूं, चना और सरसों की फसलें तेज हवाओं से गिर गईं, जबकि बारिश से दाने भीगकर सड़ने लगेंगे, वहीं कई खेतों में फसलें पूरी तरह बर्बाद होने की संभावना जताई गई। स्थानीय किसानों के मुताबिक, इस बेमौसम बारिश से हमारा काफी नुकसान हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूरे मध्य प्रदेश में 3-5 अप्रैल तक ऐसी ही आंधी-बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है। किसानों को सरकार से अपेक्षा है जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए ताकि किसान भाई इस मुश्किल वक्त से उबर सकें।

इनका कहना है

आज सुबह हुई वर्षा को देखते हुए आर आई एवं पटवारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने हल्का के किसानों के खेत पर रखी फ़सल के नुकसान का आंकलन कर अवगत कराएं।

सुरेंद्र कुमार
तहसीलदार अजयगढ़

करोड़ों रूपये खर्च कर लाइन डाली गई तीन साल में घरों तक नहीं पहुंचा पानी

सत्ताधीशों के संरक्षण मे नगर पालिका मे भ्रष्टाचार चरम पर

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल। नगरपालिका पन्ना मे सत्ताधीश आकाओं के संरक्षण मे भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने पर आमादा है। लगभग 10 वर्ष के अंदर 3 बार पेयजल की सप्लाई की लाइनें बिछाई गई। जिनमे करोडों रूपये खर्च हुआ। लेकिन सप्लाई केवल एक ही पाइप लाइन से आ रही है।

तीसरी बार अमृत-2 योजना के तहत फिर करोडों रूपये खर्च किये गये। सड़कों को चकनाचूर किया गया लेकिन उससे आज तक एक बूंद पानी नगरवासियों को नहीं मिला। इतना जरूर है कि दरवाजों दरवाजों पर कनेक्शन पाइप पडे-पड़े वाहनों से कुचल कर टूट चुके लेकिन पानी सप्लाई आज तक उनसे नहीं हो सका।

सवाल ये उठता है कि जब पेयजल के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है तो 3 बार करोड़ों रूपये खर्च करने का औचित्य क्या था मामला साप है। सिर्फ कमीशनखोरी एवं अवैध कमाई के लिए ये सारी योजनाएं आती है और इसका फायदा लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन नगरपालिका के चुने हुये जनप्रतिनिधियों एवं अमले की कमाई अवश्य हो जाती है।

ज्ञात हो कि शहर की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गइ अमृत 2 योजना वर्ष 2022-23 में शुरू हुई 42 करोड़ रूपये का यह प्रोजेक्ट दो साल में पूरा होना था, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी काम अधूरा है। पाइपलाइन बिछाने से लेकर टंकियों के निर्माण तक हर चरण में ठेका कंपनी की सुस्ती और नगर पालिका की कमजोर निगरानी उजागर हो रही है। परिणामस्वरूप शहरवासियों को ठंड के मौसम में भी दो दिन में महज एक घंटे के लिए जलापूर्ति हो पा रहा है।

लापरवाही नपा और ठेकेदार की

तीन साल पहले तक नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन एक घंटा पानी दिया जाता था। अमृत 2 योजना शुरू होने के बाद नागरिकों को उम्मीद थी कि पेयजल संकट से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता ने शहर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अमृत 2 योजना की देरी ने लोगों को दैनिक दिनचर्या से लेकर स्वास्थ्य तक को प्रभावित किया है।

बसों के सघन चेकिंग अभियान संचालित करने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल । सागर संभाग आयुक्त अनिल सुचारी की अध्यक्षता में गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान एवं आरटीओ सुनील शुक्ला उपस्थित रहे।

बैठक में संभाग आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्री बसों की जांच कर यदि कोई बस परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में संबंधित टोल प्लाजा से भी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

स्लीपर बसों की नियमित जांच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। निर्देशानुसार सभी स्लीपर बसों में एआईएस-119 बस बॉडी कोड के तहत सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत प्रवेश एवं निर्गम के लिए अलग-अलग दो दरवाजे, अग्नि सुरक्षा हेतु एफडीएसएस प्रणाली, आगे-पीछे 10-10 किलोग्राम के अग्निशमन यंत्र तथा चार इमरजेंसी गेट (ड्राइवर साइड, पीछे के गेटवे एवं छत पर आगे-पीछे) होना आवश्यक है। साधारण श्रेणी की बसों की फिटनेस जांच भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए।

इनमें भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए दो अग्निशमन यंत्र (आगे एवं पीछे) होना जरूरी है। साथ ही सभी बसों में प्रवेश एवं निर्गम के लिए अलग-अलग दो

दरवाजे तथा कम से कम एक इमरजेंसी गेट (ड्राइवर साइड) होना अनिवार्य है। सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाए जाने तथा उनके सुचारू रूप से कार्य करने की भी जांच करने को कहा गया।

आगामी शादी-विवाह एवं त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की संख्या बढ़ने और यातायात दबाव को देखते हुए ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया न वसूला जाए। स्कूल बसों की व्यवस्थित जांच के निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों और वे चालू अवस्था में हों। प्रत्येक स्कूल बस में एक अटेंडर होना अनिवार्य है तथा छात्राओं के परिवहन की स्थिति में महिला अटेंडर या महिला शिक्षिका की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह भी पाया गया कि शादी-विवाह के अवसर पर स्कूल बसों का उपयोग बिना परमिट मैरिज पार्टी के परिवहन में किया जाता है। ऐसे मामलों में अवैध रूप से संचालित बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा

संभागायुक्त श्री सुचारी ने स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नए नियमों के तहत अब सभी यात्री बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और आपातकालीन निकास की सुविधा होना अनिवार्य है। साथ ही अब संभाग में 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह कदम पुरानी बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से उठाया गया है। किसी भी बस में अनधिकृत रूप से मॉडिफिकेशन (बदलाव) पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूल बसों का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही करने के निर्देश दिए हैं। इनका उपयोग किसी अन्य व्यावसायिक या निजी कार्यों में पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। साथ ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल बस में एक प्रशिक्षित केयरटेकर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट और सुरक्षा मानकों की समय-समय पर सघन जांच की जाएगी।

धूमधाम के साथ मनाया श्री हनुमान जी का प्राकट्योत्सव

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल। पन्ना जिला मुख्यालय सहित समूचे जिले में पवनसुत हनुमान जी का प्राकट्योत्सव बडे धूमधाम के साथ मनाया गया, कहीं सुंदरकांड तो कहीं अखण्ड रामायण तो कहीं अखण्ड रामधुन का आयोजन कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई एवं विशाल भण्डारे का आयोजन कर लोगो को प्रसाद वितरण किया गया।

हीरों की नगरी पन्ना स्थित प्रसिद्ध झोर के हनुमान जी मंदिर, मिर्जा राजा की तलैया स्थित हनुमान जी मंदिर, जुगल किशोर स्थित हनुमान मंदिर, श्री

रामजानकी स्थित हनुमान मंदिर, बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर, पहाड़ कोठी स्थित हनुमान मंदिर एवं सिंचाई कालोनी स्थित हनुमान जी मंदिर सहित पन्ना नगर के दर्जनों भव्य एवं दिव्य हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन हुआ। यहां अखण्ड रामायण एवं सुन्दरकाण्ड के साथ महाबली अंजनी पुत्र का जन्म पूरी भव्यता व उत्साह के साथ मनाया गया। विशेष मंत्रोच्चार के बीच हनुमान जी का अभिषेक किया गया। सिन्दूर चढ़ाया गया एवं आरती की गई। लड्डुओं का भोग लगाया गया। विशेष मण्डली द्वारा अखण्ड रामधुन एवं सुंदरकाण्ड पाठ किया गया, तत्पश्चात् कन्या भोज एवं भण्डारे का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। झोर के हनुमान जी मंदिर में सुबह से धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गये थे इसके साथ ही यहां सामूहिक रूप से विशाल भण्डारा का आयोजन किया गया था जो देर रात तक चलता रहा। जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में शहरवासी सम्मिलित हुए।

सांप के काटने से 18 वर्षीय युवती की मौत

झाड़ फूंक के चक्कर में दूसरे दिन ले गये अस्पताल

नवभारत न्यूज

अजयगढ़ 3 अप्रेल। अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगायें में 2 अप्रैल की शाम लगभग 6 बजे फुला रजक 18 वर्ष, पिता शिवकुमार रजक, खेत से अनाज लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक साँप ने उनके दाहिने पैर में डस दिया।

परिजनों ने तुरंत सूचना पर युवती को पहले बरकोला मंदिर ले जाकर झाड़-फूंक कराई। जब वहाँ भी हालत नहीं सुधरी तो 3 अप्रैल की सुबह 6 बजे उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने 12 घंटे की देरी का हवाला देते हुए बताया कि युवती को बचाया नहीं जा सका। उक्त घटना से गांव में मातम का माहौल व्याप्त है। घटना के बारे में पूछे जाने पर स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि पहले बच्ची को मंदिर में झाड़-फूंक के लिए ले जाया गया था। जब तबीयत और बिगड़ गई तो अस्पताल ले आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना की सूचना अजयगढ़ पुलिस को दे दी गई है और अग्रिम कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। बार-बार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण लोग अपने प्रियजनों की जान गँवा देते हैं।

इनका कहना है

साँप या किसी भी जहरीले जीव-जंतु के काटने पर तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल पहुँचना चाहिए। झाड़-फूंक या देरी से इलाज कराने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। समय पर एंटी-वेनम इंजेक्शन और उचित चिकित्सा से ज्यादातर मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकती है जिसकी सुविधा अस्पताल में मौजूद है।

डॉ. शोभाराम शर्मा बीएमओ अजयगढ़

संयुक्त निदेशक ने की जनगणना कार्यों की समीक्षा, 16 से 30 तक पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल। जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल के संयुक्त निदेशक रामावतार पटेल ने शुक्रवार को पन्ना प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जनगणना 2027 अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों एवं कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर सभाकक्ष में उपस्थित तथा वर्चुअली जुड़े अनुविभागीय जनगणना एवं चार्ज अधिकारियों से वांछित जानकारी प्राप्त कर अनिवार्य रूप से तय समय सीमा में कार्य पूर्णता के निर्देश दिए।

संयुक्त निदेशक ने कहा कि 16 वर्ष बाद होने वाली देश की 16वीं जनगणना का कार्य अतिमहत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में शामिल है। भारत की जनगणना भविष्य में विकसित राष्ट्र की नींव का आधार बनेगी। इसमें प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों सहित सभी फील्ड ट्रेनर और चार्ज अधिकारियों को भी गंभीरता के

साथ अपने दायित्वों का सावधानीपूर्वक निर्वहन करना आवश्यक है। जनगणना के कार्य में किसी भी स्थिति में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी एवं जनगणना अधिनियम की धारा में कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसलिए पारदर्शिता एवं अनुशासन के साथ कार्यों को पूर्ण करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनगणना कार्य में रिसोर्स पर्सन के माध्यम से किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा अवरोध के त्वरित निराकरण के लिए कहा। साथ ही एचएलबी कार्य अविलंब पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक स्तर पर प्रबंधन का कार्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुविभागीय जनगणना अधिकारी और चार्ज जनगणना अधिकारी द्वारा नियमित रूप से संपादित की जाने वाली गतिविधियों का निरीक्षण भी किया जाए। उन्होंने मकान सूचीकरण, ब्लॉक निर्माण, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अपेक्षित कार्य, पोर्टल पर आईडी जनरेशन एवं चार्जवार कर्मचारियों की ड्यूटी सहित प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही जनगणना कार्य को उत्साह के साथ पूरा करने एवं आगामी दिवसों में जिले के 16 चार्जवार नियुक्त प्रगणक व पर्यवेक्षकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए कहा। विशेष रूप से फील्ड प्रैक्टिस एवं हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण पर फोकस करने के निर्देश भी दिए गए। जनगणना कार्य की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी 16 से 30 अप्रैल के मध्य आम नागरिक स्वयं घर से संबंधित डाटा ऑनलाइन भर सकेंगे। 33 प्रश्नों के जवाब भरने के उपरांत 16 अंकों की स्वगणना आईडी जनरेट होगी।

अगले 30 दिन में जनगणनाकर्मी द्वारा संपर्क करने के बाद आईडी के जरिए डेटा का सत्यापन किया जा सकेगा। माह मई 2026 में मकान गणना के बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण होगा। इस दौरान विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए व्यवस्थित रूप से दायित्वों के निर्धारण, आवश्यकता मुताबिक जनगणना कार्यों में पंचायत सचिव को संलग्न करने, डाटा फ्रीज करने व अन्य गतिविधियों के संबंध में चर्चा कर प्रश्नों का समाधान भी किया गया। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार ने कहा कि जनगणना कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जाना जरूरी है। इस कार्य में संलग्न शासकीय सेवक सौंपे गए महत्वपूर्ण दायित्व का जिम्मेवारीपूर्वक निर्वहन करें। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे ने जिले में जनगणना कार्य के प्रशिक्षण सहित आगामी कार्यों की रूपरेखा एवं तैयारियों के बारे में अवगत कराया।

फील्ड ट्रेनर के प्रशिक्षण का लिया जायजा

संयुक्त निदेशक द्वारा बैठक के पूर्व छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में आयोजित फील्ड ट्रेनर के प्रशिक्षण का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को जनगणना कार्य से संबंधित निर्देश एवं जानकारियों से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त प्रगणक व पर्यवेक्षकों द्वारा संपर्क कार्य के दौरान आम जनता से बेहतर व्यवहार व अनुशासन बनाए रखने, बरती जाने वाली सावधानियों, वांछित जानकारी के इंद्राज के दौरान सही कोड के चयन, पारदर्शी प्रक्रिया से कार्य संपादन, प्रश्नों के प्रस्तुतिकरण एवं उत्तरदाता की जानकारियों की प्रविष्टि के संबंध में भी आवश्यक मार्गदर्शन किया गया।

निर्माण विभागों में लंबे समय से की जा रही रायल्टी चोरी, नोड्यूज प्रमाण पत्र बिना भुगतान

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 अप्रेल । शासन लोक निर्माण विभाग के आदेशो के अनुसार शासकीय कार्य हेतु गौण खनिज निकालने के लिये ठेकेदार को रायल्टी शुल्क का भुगतान करना होगा। ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान तभी किया जायेगा जब वह कलेक्टर खनिज द्वारा जारी अदेयता प्रमाण प्रस्तुत करेगा। किन्तु सरकारी निर्माण विभागों में ऐसा पाया गया है कि कई ठेकेदारों के बिलों से शत प्रतिशत अधिरोपित होनी वाली रायल्टी शुल्क की कटौती नहीं गई।

जिला स्तर पर खनिज विभाग नहीं करता मानीटरिंग- जिला स्तर पर जहां खनिज विभाग की जिमेदारी होती है कि वह निर्माण कार्यो के मामले में विभागीय स्तर पर निगरानी करे और रायल्टी की गणना कर उसकी जानकारी संबंधित विभागों को दे। किन्तु यहां बताया जाता है कि निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले खनिज की रायल्टी संबंधित विभागों व ठेकेदारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि अदेयता प्रमाण पत्र के बारे में भी खनिज विभाग का जबाब होता है कि वह यहा से जारी नहीं होता बल्कि शासन स्तर से जारी किया जाता है। जबकि निर्देश हैं कि अदेयता प्रमाण कलेक्टर खनिज द्वारा जारी किया जायेगा। इसलिये अदेयता प्रमाण पत्र को लेकर भी यहां गोलमोल स्थितियां हैं।

जिला खनिज कार्यालय में नहीं पहुचती जानकारी-बताया जाता है कि निर्माण विभागो में चलने वाले कार्यो से संबंधित उपयोग होने वाले खनिज की जानकारी भी जिला खनिज कार्यालयों में नहीं प्रस्तुत की जाती है। जब ऐसा नहीं होता तो खनिज विभाग मे कोई हस्तक्षेप नहीं करता। शासन स्तर पर ही खनिज रायल्टी का हिसाब किताब हो जाता है और यहां जिले में उसका कोई डाटा संकलित नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि बड़े निर्माण कार्यो में खनिज रायल्टी को लेकर बड़ी अनियमितता की जाती है।

रायल्टी चोरी में बड़ा खेल

विभिन्न विभागों में संचालित होने वाले बड़े-बड़े निर्माण कार्यो में जहां ठेकेदारों के द्वारा भारी मात्रा में खनिज का उपयोग किया जाता है उसके अनुसार रायल्टी की भी गणना होनी चाहिये। यदि संबंधित निर्माण विभागों में रायल्टी की सही गणना नहीं की जाती तो खनिज विभाग को इसकी निगरानी करनी चाहिये एवं रायल्टी की गणना कर शासन को प्राप्त होने वाली रायल्टी के संबंध में सूचित किया जाना चाहिये। किन्तु देखा जाता है कि संबंधित विभागों में ठेकेदारों से उपयोग की जानी वाली खनिज की वास्तविक रायल्टी जमा नहीं की जाती। वही सरकारी विभागों में भी रायलटी को लेकर व्यापक पैमाने पर लापरवाही की जाती है। जहां ठेकेदारों को लाभ पहुचाया जाता है।

शासन स्तर से भी नहीं होता नियमित निरीक्षण

खनिज रायल्टी की कम वसूली को लेकर शासन स्तर से भी जांच व निरीक्षण के संबंध में कोई टीम गठित नहीं की जाती। ताकि यह पता चल सके कि जहां कई करोड़ के कार्यो के सड़क, पुल, लाईओवर, भवन एवं नहरों का आदि का निर्माण किया जाता है वहां खनिज का किस मात्रा में उपयोग किया गया है। उस अनुपात में शासन के खजाने में रायल्टी की कितनी राशि जमा की गई है ओर कितनी कम रायल्टी की राशि जमा की गई है। यदि कम रायल्टी जमा की गई है तो उसकी वसूली होनी चाहिये एवं लापरवाही के लिये संबंधित अधिकारियों के खिलाफकार्रवाई भी होनी चाहिये। किन्तु देखा जाता है कि निर्माण कार्यो के मामले में सब कुछ विभागों के ऊपर छोड़ दिया जाता है।